माननीय अध्यक्ष का प्रारम्भिक वक्तव्य

माननीय सदस्यगण,पंचम झारखण्ड विधान सभा के द्वादश (मानसून) सत्र के शुभारंभ पर आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन और जोहार।

सदन के माध्यम से मैं झारखण्ड राज्य की नवनियुक्त उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री श्रीमती बेबी देवी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

माननीय सदस्यगण,इस वर्ष राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 66वाँ सम्मेलन 30 सितंबर से 06 अक्टूबर तक अफ्रीका महादेश के घाना के अकरा में निर्धारित है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जैसे बडे संगठन में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करने तक सीमित न रहकर ऐसे सम्मेलन से राष्ट्र की तरक्की में हम अपनी भागीदारी किस तरह निभा पाए,इस पर भी हमें सोचना होगा। समिति व्यवस्था को सुदृढ करने के उद्धेश्य से वर्ष 2023–24 के लिए समितियों के सभापतियों एवं उनके सदस्यों का मनोनयन किया गया है। सभापतियों में अधिकतर युवा है जिनके उर्जा से निश्चय ही झारखंड राज्य के नवनिर्माण और आमजनों का कल्याण होगा। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका का पारस्परिक संबंध है। कार्यपालिका का सामूहिक दायित्व विधायिका के प्रति होता है। इस विषय को लेकर विधि निर्माण की प्रक्रिया तथा कार्यपालिका का दायित्व विषय पर पहल करते हुए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका फलाफल निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा।

माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र के दौरान कुल छः बैठकें निर्धारित हैं। वर्ष 2023–24 के प्रथम अनुपूरक

व्यय विवरणी के व्यवस्थापन के लिये एक दिन,राजकीय विधेयक के लिए तीन दिन तथा गैर–सरकारी संकल्प सभा के अंतिम कार्य दिवस के लिए निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियमों के अधीन माननीय सदस्यों को जन–सरोकार से जुडे विषयों और समस्याओं पर सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण–सूचनाएँ उठाने एवं प्रस्तावों और संकल्पों को प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त होंगे।

यद्यपि यह सत्र छोटा है परंतु फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आप सभी की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि राज्य की जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए सदन में सार्थक विमर्श होना जरूरी है और यह विमर्श आप सभी के सदन में उपस्थिति से ही संभव हो पाएगाा। मुझे विश्वास है कि राज्यहित में सदन के संचालन में आप सभी का पूर्ण सहयोग मुझे सदैव प्राप्त होगा।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में पक्ष–विपक्ष उसके अलंकार होते हैं। वैचारिक मतभिन्न्ताओं के बावजूद पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण के लिए क्षेत्र की जनता के कल्याण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है,क्योंकि आमजनमानस में ही अंतिम संप्रभुता निवासित होती है और इस सदन में हम सभी की उपस्थिति उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिबिंबित होती है। मुझे आशा है कि आप सभी माननीय सदस्यगण इस सत्र का ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने अपने क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए करेंगें।

इन्हीं शुभकामनाओं और प्रबल विश्वास के साथ आपका पुनः अभिनंदन।